हर इंसान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
कैलाश राजपुरोहित
मो. 8963095311

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक 62184. दिनांक : 13.08.2022

श्रीमान नरेन्द्र मोदी साहेब,
प्रधानमंत्री, भारत सरकार,
नई दिल्ली।

स्मरण पत्र-3

विषयः-- आजादी के 75वें वर्ष में देश के प्रधानमंत्री से तीन न्यायसंगत मांग।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि आप यह भली भांति जानते हैं कि पदोन्नति में जाति आधारित आरक्षण से पूरे देश का न्यायिक-प्रशासन, विधायी-प्रशासन और लोक-प्रशासन लगातार धराशाही, निष्प्रभावी, अक्षम, लज्जित होता जा रहा है। पूरे देश में सभी राज्यों, केन्द्र और सार्वजनिक उपकमों के लगभग 2 करोड कर्मठ, ईमानदार, निष्ठावान और सुयोग्य लोकसेवक पदोन्नति में जातिगत आरक्षण के कारण बार-बार अन्याय, प्रताडना, अपमान और प्रतिष्ठा व अर्थ का भारी नुकसान सहने को मजबूर होते रहे हैं। पूरा न्यायिक, विधायी और लोक-प्रशासन जातिगत वैमनस्य की आग में जल रहा है।

इसी प्रकार अजा एवं अजजा वर्ग के वंचित और पिछड़े लोग इसी वर्ग के सम्पन्न, धनाढ्य, सशक्त और अगड़े हो चुके चार-पांच प्रतिशत लोगों के शोषण का शिकार हो रहे हैं। सरकारी योजनाओं और आरक्षण के लाभ से वंचित हो रहे हैं। अजा, अजजा में ही सम्पन्न, धनाढ्य, सशक्त अधिकारियों/राजनेताओं की लोबी सरे आम अपने ही वर्ग के वंचित गरीबों और पिछड़ों के हकों पर डाका डाल रही है, "नवशोषक वर्ग(**Neo-exploiter class**)" बनकर सकिय है। लेकिन न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका चुप हैं। वंचित, गरीब, पिछडे, कमजोर अजा/अजजा के अधिकारों की रक्षा करने में लाचार, बेबस और अक्षम महसूस कर रहे हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग में भी हास्यास्पद कीमिलेयर अधिसूचना के कारण (जिसमें 0.1 प्रतिशत भी ओबीसी से बाहर नहीं हो पा रहे) बडी संख्या में गरीब, वंचित, पिछडे, कमजोर लोगों तक ओबीसी आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच ही नहीं पा रहा है। ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था संविधान विरुद्ध तरीके से "पिछडा वर्ग" के स्थान पर पूरी तरह जाति आधारित हो गई है। कुछ दबंग जातियों की दबंगई के आगे सरकारों के समर्पण के कारण पूरा ओबीसी आरक्षण बदनाम और विवादित हो गया है।

आर्थिक कमजोर वर्ग (**EWS**) के लिए आपकी सरकार द्वारा निर्धारित पांच अनिवार्य मानदण्ड एक स्तुत्य प्रयास है। आपकी और आपकी सरकार की गरीब, पिछडे, वंचित वर्ग के प्रति संवेदनशीलता और साहसिक निर्णय लेने की क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इन पांच मानदण्डों के प्रभाव से सामान्य वर्ग का कोई भी सशक्त, सम्पन्न और अगडा व्यक्ति अपनी जाति के आधार पर अपने ही वर्ग के गरीब, वंचित, पिछड़े लोगों के हक को लूटने में अक्षम हो गया है। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। इसीलिए आपकी और आपकी सरकार की सोच, कार्यशैली, संवेदनशीलता और गरीब-वंचित-पिछड़े लोगों के प्रति न्यायप्रिय दृष्टिकोण को देखते हुये देश की आजादी के 75वें वर्ष में आपसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि:-

1. पदोन्नति में जाति आधारित आरक्षण की अन्यायपूर्ण, अराजक और दमनकारी व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा प्रदत एम.नागराज बनाम भारत सरकार-2006 के निर्णय की पालना करते हुये तत्काल समाप्त किया जावे।

(लगातार--- 2)

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in	Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन — संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)
माननीय श्री अशोक कुमार सिंह — संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)
माननीय श्री भागीरथ शर्मा — संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
कैलाश राजपुरोहित
मो. 8963095311

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक	दिनांक :

2. अजा/अजजा में गरीब, वंचित और पिछड़े लोगों को इसी वर्ग के "नव शोषक वर्ग" से सुरक्षा दिलवाने के लिए क्रीमिलेयर वर्ग को बाहर करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय की तीन–तीन संविधान पीठों के निर्णय (एम.नागराज बनाम भारत सरकार–2006, जरनेल सिंह बनाम भारत सरकार–2018 और चैम्बरूलू लीलाप्रसाद राव बनाम आंध्र प्रदेश–2020) की पालना करते हुये अजा/अजजा वर्ग से क्रीमिलेयर को बाहर करने की अधिसूचना तत्काल जारी की जावे।

3. ओबीसी वर्ग के आरक्षण को असली गरीब, वंचित, पिछडे लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस आरक्षण को जाति आधारित आरक्षण के श्राप से मुक्त करने के लिए और तथाकथित क्रीमिलेयर की हास्यास्पद अधिसूचना को न्यायसंगत बनाने के लिए कृपया आर्थिक कमजोर वर्ग (**EWS**) के अनिवार्य पांच मानदण्डों को पूरे देश में ओबीसी में भी तत्काल लागू किया जावे।

हम आपकी, आपकी सरकार की और अन्य किसी भी राजनैतिक दल की मजबूरियों को समझते हैं। इसीलिए आजादी के 75वें वर्ष में आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करने की मांग के बजाय हर वर्ग के हित में उपरोक्त तीन न्यायसंगत मांग रख रहे हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 75 वर्षों से अकारण अन्याय झेल रहे दो करोड से अधिक लोकसेवकों को न्याय दिलवाने के लिए और अजा/अजजा/ओबीसी वर्ग के असली वंचित, गरीब, पिछड़ों तक आरक्षण व सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आप जैसा न्यायप्रिय और निर्भीक शासक निश्चित ही त्वरित सकारात्मक निर्णय ले पायेगा और अन्य राजनेता या दल भी वोटों की राजनीति से ऊपर उठकर निर्दोष, कर्मठ लोकसेवकों और असली वंचित पिछडें कमजोर लोगों के हित में लिए गये आपके निर्णय का सरल मन से समर्थन करेंगे।

सादर अभिवादन सहित ।

भवदीय,
पा. ना.
पाराशर नारायण
अध्यक्ष

प्रति:– 62185 to 62974.
सभी लोकसभा एवं राज्य सभा के सम्माननीय सांसदों को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।

पा. ना.
पाराशर नारायण
अध्यक्ष